न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 11/17

CMS NO-2017/ 00201 सन् 2017

बउनवानीः—1. भागचन्द पुत्र बिरधा जाति मीना निवासी ग्राम सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर(मृतक)
2. धर्मसिंह पुत्र भागचन्द जाति मीना निवासी ग्राम सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. आशाराम पुत्र सरूपा जाति मीना निवासी बंधा तहसील सवाईमाधोपुर
2. हाबूलाल पुत्र सरूपा जाति मीना निवासी बंधा तहसील सवाईमाधोपुर
3. धापू देवी पत्नि सरूपा जाति मीना निवासी बंधा तहसील सवाईमाधोपुर
4. प्रेम देवी पुत्री सरूपा जाति मीना निवासी बंधा तहसील सवाईमाधोपुर
5. रसाल देवी पुत्री सरूपा जाति मीना निवासी बंधा तहसील सवाईमाधोपुर
6. सरकार जरिये नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर
7. रमेश चन्द पुत्र भागचन्द जाति मीना निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
8. सुरेश पुत्र भागचन्द जाति मीना निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर
9. लोकेश पुत्र जगदीश जाति मीना निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर
10. द्रोपदी पत्नि जगदीश जाति मीना निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर
11. गोकुल बेवा भागचन्द जाति मीना निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1085 निर्णय दिनांक 14.10.1977 वाके ग्राम सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता वकील रेस्पो. 1—5

—: निर्णय :— दिनांक 24.7.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1085 निर्णय दिनांक 14.10.1977 वाके ग्राम सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवायी हेतु कोई नोटिस जारी नही किया है जबकि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का भौतिक कब्जा कदीमी समय से चला आ रहा है किन्तु भौतिक कब्जे की जॉच किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही एक पक्षीय की गयी है। इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि रेस्पो. संख्या 1 लगायत 5 ग्राम सूरवाल के मूल निवासी भी नही है। विवादित नामा0 भरने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा साबिक ख0न0 1068 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा साबिक ख0न0 1069 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा की जॉच करनी चाहिए थी लेकिन पटवारी हल्का ने मौके की जॉच किये बिना ही आदेश जैर अपील [illegible] या है। अपीलान्ट के पिता एवं रेस्पो0 के बाबा का नाम बिरधा होने के कारण पटवारी [illegible] यह गलती की है। माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर के यहां [illegible] न्याय आपके द्वारा राजस्व लोक अदालत में विवादग्रस्त नामा0 की अपील [illegible] करने के निर्देश दिये [illegible] पर माननीय न्यायालय मे यह अपील बिना देरी किये पेश की गयी [illegible]। यह तर्क भी दिया कि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:21:22 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(अपील नामा0 संख्या 11/2017 उनवानी भागचन्द वगै. बनाम आशाराम वगै.)

इस को लेकर इस उनवान की एक अपील माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के यहॉ विचाराधीन है जिसमे नामा0 संख्या 73 दिनांक 5.9.2007 से संबंधित है। अतः आदेश जैर अपील हाल ख0न0 978 रकबा 0.38 है0, ख0न0 979 रकबा 0.21 है0, ख0न0 980 रकबा 0.63 है0 की हद तक अपास्त फरमाये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया ।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रथम तो अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है क्योंकि 46 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने का विधिसम्मत कारण भी नही बताया है इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि बिरधा पुत्र कालू की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है बिरधा हम रेस्पो. संख्या 1 लगायत 5 के बाबा थे उनके फोत होने पर उनकी विरासत का नामा0 हमारे पिता सरूपा के नाम भरकर दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि विवादित भूमि को लेकर उपजिला कलेक्टर न्यायालय मे एक वाद इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट का विचाराधीन है जिसमे पक्षकारान के हित एवं अधिकार तय होना है। यह तर्क भी दिया कि उक्त भूमि गंगजी, गोपाल पिसरान नेहनू से बागुजास्त होकर तथा रहनमूर्तहीन के इन्द्राज हटाये जाकर हमारे बाबा बिरधा पुत्र कालू के नाम जरिये रहन बागुजास्त के नामा0 से खातेदारी मे दर्ज हुई है। यह तर्क भी दिया कि सहायक कलेक्टर न्यायालय मे विचाराधीन मु. न. 5/15 मे दिये गये बयानो मे स्वंय भागचन्द द्वारा रेस्पो0 के बाबा को सूरवाल का निवासी बताया गया है। इसलिए यह कहना गलत है कि रेस्पो0 ग्राम बंधा के निवासी है। चूंकि विवादित नामा0 रेस्पो0 के बाबा बिरधा के फोत होने पर उनके पिता सरूपा के नाम भरकर दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1085 दिनांक 14.10.1977 को इसलिए गलत बताया गया है कि अपीलान्ट के पिता एवं रेस्पो0 के दादा का नाम बिरधा होने के कारण सही जानकारी के अभाव मे भरकर दर्ज फैसल किया गया है किन्तु कथन के समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया कि विवादित भूमि पूर्व में अपीलान्ट के पिता अथवा बाबा की रही हो। इसके विपरीत वकील रेस्पो0 द्वारा उक्त भूमि गंगजी, गोपाल पिसरान नेहनू से बागुजास्त होकर तथा रहनमूर्तहीन का इन्द्राज हटाये जाकर रेस्पो. के बाबा बिरधा पुत्र कालू के नाम जरिये रहन बागुजास्त के नामा0 से खातेदारी मे दर्ज होना उपज़िला कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन वाद पत्र के जवाब दावा मे अंकित किया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश जैर अपील से संबंधित भूमि को लेकर उपजिला कलेक्टर न्यायालय मे दावा विचाराधीन है जिसमे पक्षकारान का हित एवं अधिकार तय होना है ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.7.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:21:22 IST
Reason: SelfAttested

(श्री खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner